प्रस्तावना

भारतीय समाज हमेशा से ही पुरूष प्रधान व परम्परागत रहा है जिसमें महिलाओं की स्थिति पुरूषों की तुलना में हमेशा से निम्न रही है। हालांकि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अन्य कालों की तुलना में बेहतर थी परन्तु पूर्ण रूप से स्त्री–पुरूष समानता वैदिक काल में भी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल व ब्रिटिश काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति और खराब होती गई तथा वे अनेक कुरीतियाँ व कुप्रथाओं की शिकार हो गई यथा कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह, अशिक्षा, बहु पत्नी प्रथा, आजीवन विधवापन, सती प्रथा इत्यादि। कुछ समाज सुधारकों ने इन कुप्रथाओं की समाप्ति के लिए प्रयास किये तथा गाँधीजी के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया गया। परिणाम स्वरूप भारत के संविधान में स्त्रियों को पुरूषों के समान ही नागरिक अधिकार प्राप्त हुए तथा बाद के वर्षों में अनेक कानूनों के निर्माण द्वारा उनकी स्थिति में सुधार के भी प्रयास हुए। दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, सती, बहु विवाह प्रथा इत्यादि को अवैध घोषित किया गया परन्तु इस दौरान घरेलू हिंसा को अनदेखा करने की कोशिश रही क्योंकि वह 'घरेलू' मामला माना गया। 2005 में सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा के तथ्य को स्वीकार करते हुए इसके खिलाफ कानून का निर्माण किया गया। अतः प्रस्तुत अध्ययन में हमारी कोशिश यह जानने की है कि तुलनात्मक रूप से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं का इस कानून के बनने के पाँच वर्ष बाद भी, क्या इसकी जानकारी है? क्या वे इससे लाभ उठा पा रही है? तथा घरेलू हिंसा कितनी प्रचलित है?

साहित्य का पुनरावलोकन

1. **नीरा देसाई** ने अपनी पुस्तक *वर्तमान समाज समाज में नारी (1982)* में विभिन्न युगों में नारी की स्थिति, उसका स्थान, उसके सामाजिक

एव राजनीतिक अधिकारों का वर्णन, शिक्षा व व्यवसाय के साथ–साथ भारतीय नारी के विचारों में आये परिवर्तनों की विवेचना करते हुए नारी के भविष्य आदि पहलुओं का विश्लेषण किया है।

2. **T.N. Srivastava** ने अपनी पुस्तक *Women and the Law (1985)* में संविधान के अन्तर्गत दिए गए समानता के अधिकार को स्थापित करने के उद्देश्य से महिलाओं के सम्बन्ध में बनाए गए विभिन्न कानूनों का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार कानून तब तक उपयोगी नहीं है जब तक महिलाओं को उसकी जानकारी नहीं है। लेखक मानते हैं कि कानूनों का क्रियान्वयन और उनका निर्माण अपने आप में दो अलग–अलग बाते हैं। कानूनों की सफलता के लिए उन्होंने महिलाओं की वैधानिक शिक्षा पर बल दिया है।

3. **चेतना मेहता** ने अपनी पुस्तक *महिला और कानून (1993)* में उन नियम और कानूनों का विश्लेषण किया है, जो महिलाओं के संरक्षण के लिए निर्मित किये गए हैं। लेखक ने द्वारा महिला अधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न नियमों और कानूनों को एक ही स्थान पर समावेशित किया है। यह पुस्तक महिला अधिकारों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है तथा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा व प्रचार माध्यमों के प्रयोग पर बल देती है।

4. **प्रभा आप्टे** ने अपनी पुस्तक *भारतीय समाज में नारी (1996)* में महिलाओं की समस्याओं तथा समाज में उनकी स्थिति का वर्णन किया है। महिलाओं की उन्नति के लिए निर्मित कानूनों का यथार्थ बताते हुए पुस्तक में स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं की भागेदारी का भी उल्लेख किया गया है। आज के वातावरण में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों एवं अत्याचारों में घरेलू हिंसा का वर्णन करते हुए गैर सरकारी संगठनों की जानकारी भी प्रदान की गई है।

5. **सुधारानी श्रीवास्तव** ने अपनी पुस्तक *भारतीय महिलाओं की वैधानिक स्थिति (1997)* में भारतीय समाज में व्याप्त महिलाओं की वैधानिक स्थिति का वर्णन किया है तथा कानूनों की व्यवहारिकता का विश्लेषण करते हुए कानूनों में संशोधनों से सम्बन्धित सुझाव भी दिये हैं। पुस्तक में महिलाओं से सम्बन्धित निर्मित कानूनों में व्याप्त विभिन्न कमियाँ व खामियों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है।

6. **सरला माहेश्वरी** ने *नारी प्रश्न (1998)* नामक अपनी पुस्तक में समाज में महिलाओं की स्थिति पर बहुत से तथ्यों का संकलन करते हुए उनका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनका विश्लेषण ऐतिहासिक है तथा दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय है। वे नारी की गुलामी और पराधीनता को भी सीमित दायरे में नहीं देखती है। आधुनिक सभ्यता के केन्द्र यूरोप के देशों में नवजागरण के प्रारम्भ से ही नारी अधिकारों का प्रश्न उठ खड़ा हुआ था, यह उन्होंने बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा पुष्ट किया है।

7. **Jyotsna Mishra** ने अपनी पुस्तक *Women and Human Rights (2000)* में लिखा है कि मानव आबादी का नारी आधा हिस्सा है परन्तु उसके साथ समाज के कमजोर और असहाय वर्ग के रूप में बर्ताव किया जाता है। पुस्तक में नारी की वास्तविक स्थिति और उससे सम्बन्धित मानवाधिकारों का वर्णन किया गया है। लेखिका के अनुसार महिलाएँ आज भी पक्षपात पूर्ण और दोहरी मानसिकता वाले समाज में जी रही है व आज के दूषित वातावरण में नारी की सुरक्षा का प्रश्न एक महत्वपूर्ण विषय है। नारी के विरूद्ध होने वाली हिंसा ने विविध रूप धारण कर लिए हैं, जो कि उसके मूल–भूत अधिकारों के हनन का मुख्य कारण है।

8. **रचना कौशल** ने अपनी पुस्तक *Women and Human Rights In India (2000)* में कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों और अनेक अधिनियमों के होते हुए भी भारतीय नारी की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है। वह अपने सम्पूर्ण जीवन में लिंग भेद का दंश झेलती है। आज के युग में मानवाधिकार ने प्रतीक रूप धारण कर लिया है परन्तु महिला मानवाधिकारों का खुलकर उल्लंघन हो रहा है। वास्तविकता यह है कि नारी आज भी उत्पीडन, शोषण और भेदभाव का शिकार है। विकासशील देशों में स्थिति और भी अधिक भयानक है। इस पुस्तक में उन तत्वों व कारणों पर भी प्रकाश डाला है, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के उत्तरदायी है।

9. **प्रज्ञा शर्मा** ने अपनी पुस्तक *महिला विकास और सशक्तिकरण (2001)* में महिला सशक्तिकरण के विस्तृत परिदृश्य को तीन धार्मिक सामाजिक व्यवस्थाओं यथा हिन्दू, मुस्लिम और ईसाईयों के सन्दर्भ में रेखांकित करने का प्रयास किया है। लेखिका के अनुसार तीनों धर्मों में महिलाओं की स्थिति, दशा और उनके विकास की दिशा भिन्न है तथा विकास की गति भी मंद है। इन धर्मों की महिलाओं पर सशक्तिकरण के प्रभाव का उल्लेख भी पुस्तक में किया गया है।

10. **प्रकाश नारायण नाटाणी** ने अपनी पुस्तक *महिला और कानून (2002)* में लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की मूल धुरी महिलाएँ ही होती हैं। लेखक ने भारत में आजादी के पश्चात् महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए से किये जाने वाले प्रयासों, महिला अधिकारों का वर्तमान स्वरूप, विकास में नारी की भागीदारी, महिलाओं के लिए आरक्षण का महत्व आदि विषयों को पुस्तक में शामिल किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग का वर्णन करते हुए महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से

सम्बन्धित कानूनों की जानकारी भी पुस्तक में प्रदान की है और यह भी बताया है कि किस प्रकार महिलाएँ इन कानूनों के जरिये राहत प्राप्त कर सकती है।

11. **राजकुमार** ने अपनी पुस्तक *नारी शोषण : समस्याएँ एवम् समाधान (2003)* में भारतीय नारी का ऐतिहासिक सर्वेक्षण किया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न कालों और समय में महिलाओं के जीवन, उसकी स्थिति, प्राप्त राजनीतिक और आर्थिक अधिकार आदि का वर्णन किया है। इसके साथ–साथ लेखक ने भारतीय समाज में नारी की समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाए हैं, जिसमें पहल वे नारी से ही चाहते हैं।

12. **आशा कौशिक** ने अपनी पुस्तक *मानवाधिकार और राज्य : बदलते सन्दर्भ, उभरते आयाम (2004)* में विभिन्न लेखकों के लेखों को संकलित किया है। इन लेखों द्वारा मानवाधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार प्रस्तुत किये गये हैं। जैसे मानवाधिकार का वैश्विक परिदृश्य, मानवाधिकार और राज्य के सरोकार, मानवाधिकार बनाम आतंकवाद, पुलिस बनाम मानवाधिकार, श्रमिकों के मानवाधिकार, भारतीय संविधान में महिला मानवाधिकार, भारत में महिला मानवाधिकार आन्दोलन, बालश्रम आदि विषयों का सुव्यवस्थित ढंग से पुस्तक में समावेश किया गया है।

13. **Savitri Goonerkere** ने अपनी पुस्तक *Violence, Law & Women's Rights in South Asia (2004)* में दक्षिण एशिया के तीन बडे और महत्वपूर्ण देश भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के महिला संबंधी कानून और कानूनों के क्रियान्वयन का आलोचानात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। लेखिका ने कानूनों मे अमूल–चूक परिवर्तन और नए कानूनों को बनाने का

सुझाव दिया है जिनसे मानवाधिकारों को सुरक्षित किया जा सके ताकि महिलाओं को हिंसा से मुक्ति प्राप्त हो सके।

14. **सावलिया बिहारी वर्मा, एम.एल. सोनी व संजीव गुप्ता** ने अपनी पुस्तक *महिला जागृति और सशक्तिकरण (2005)* में विभिन्न लेखकों के लेखों को संकलित प्रस्तुत किया है। पुस्तक में महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं; जैसे महिला जागृति, पंचायती राज और महिला, महिला विकास, महिला शिक्षा व स्वास्थ्य, महिला और कानून, महिला सशक्तिकरण।

15. **राकेश द्विवेदी** ने अपनी पुस्तक *महिला सशक्तिकरण : चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ (2005)* में महिलाओं की वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हुए सशक्तिकरण हेतु भावी कार्य योजना की रणनीति पर प्रकाश डाला है। लेखक नारी जीवन में आने वाली कठिनाई और चुनौतियों का वर्णन करते हुए महिला सशक्तिकरण के वैधानिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं का भी वर्णन करते हैं।

16. **आशा रानी व्होरा** ने अपनी पुस्तक *नारी शोषण : आईने और आयाम (2005)* में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक नारी की परिस्थितियों पारिवारिक विघटन, नैतिक मूल्यों में आने वाला बदलाव, समाज की परिवर्तित होती परिस्थितियों, नारी शोषण उत्पीड़न व अत्याचार, नारी मुक्ति आन्दोलन आदि का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

17. **Preeti Misra** ने अपनी पुस्तक *Domestic Violence Against Women (2006)* में भारत में वैदिक काल से वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति और उनमें होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या की है। लेखिका ने महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा, हिंसा की अवधारणा, घरेलू हिंसा के विविध रूप तथा उसके कारणों की विवेचना की है तथा घरेलू हिंसा के

संदर्भ में न्यायिक प्रशासन का विश्लेषण किया है साथ ही महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये है।

18. **एम.एम. अंसारी** ने अपनी पुस्तक *नारी जीवन के सुलगते प्रश्न (2006)* में नारी जीवन के बहुआयामी संघर्षो पर प्रकाश डाला है और लेखक नारी जीवन से जुड़ी विपदाओं और संकटों का भी वर्णन किया है। लेखक ने नारी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे– असमानता, लिंग–भेद, पुरूष के समक्ष निम्न स्थिति, आर्थिक तौर पर कमजोर स्थिति आदि पर प्रकाश डाला है।

19. **मीनाक्षी निशांत सिंह** ने अपनी पुस्तक *आधुनिकता और महिला उत्पीड़न (2008)* में महिला उत्पीड़न के विभिन्न पक्षों पर प्रभाव डाला है। लेखिका के अनुसार जहाँ एक ओर समाज आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के उत्पीड़न का ग्राफ बढ़ रहा है। वह आज भी उत्पीड़न और शोषण का शिकार है, जिसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में आधुनिक समाज में नारी की स्थिति का विश्लेषण किया है।

20. **B.S. Aswal** ने अपनी पुस्तक Women and Human Rights (2010) में नारी मानवाधिकार विषय मुद्दों का अध्ययन किया है। पुस्तक में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं को प्राप्त अधिकारों का वर्णन किया गया है। लेखिका ने विदेशों में मानवाधिकार की स्थिति और नारी की दशा का भी वर्णन किया है। लेखिका के अनुसार प्राचीन काल से और आज तक नारी के अधिकारों का हनन होता रहा है चाहे वह कोई भी समाज तथा कैसा भी देश हो। लेखिका ने फिलीपिंस, तिब्बत, जायरे, अर्जेन्टीना और पेरू जैसे देशों में मानवाधिकार की स्थिति का विश्लेषण किया है।

शोध प्रश्न

प्रस्तुत साहित्य के पुनरावलोकन से स्पष्ट है कि मानवाधिकार, महिला मानवाधिकार, महिला जागृति, महिला सशक्तिकरण, महिला व कानून, भारत में नारी, महिला व हिंसा, महिला शोषण तथा महिला व घरेलू हिंसा विषयों को भी विद्वानों ने अपने अध्ययन का विषय बनाया है। किन्तु घरेलू हिंसा पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं पर कोई अनुभवात्मक तुलनात्मक अध्ययन अब तक नहीं हुआ है। अतः प्रस्तुत शोध में हम साहित्य में मौजूद उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। अतः हमारा शोध प्रश्न होगा कि क्या 2005 के घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम बनने के पाँच वर्षों के बाद आज भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं? क्या उन्हें इस कानून की जानकारी है तथा क्या इस कानून से उन्हें सहायता या लाभ प्राप्त हुआ है?

प्राकल्पनाएँ

1. ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों की महिलाएँ घरेलू हिंसा का सामना करती हैं।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम की अधिक जानकारी है।
3. दोनों ही क्षेत्र की महिलाएँ घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम का यथोचित लाभ नहीं उठा पा रही है।

अध्ययन पद्धति

1. **व्यैक्तिक अनुभवात्मक अध्ययन** :– यह व्यैक्तिक अनुभवात्मक अध्ययन है जो प्रश्नावली, साक्षात्कार व अवलोकन पर आधारित होगा। शोध छात्रा द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से 100–100 अर्थात कुल 200 विवाहित महिलाओं से स्वयं संपर्क तथा अवलोकन, साक्षात्कार व प्रश्नावली के माध्यम से वस्तु स्थिति का

अध्ययन किया गया है। शहरी क्षेत्रों की 100 महिलाएँ रैनडम सैम्पलिंग द्वारा मेरठ के मुख्य बाजार क्षेत्र (शिव लोक पूरी कंकर खेडा) से ली जायेंगी जबकि ग्रामीण क्षेत्र की 100 महिलाएँ मेरठ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र (धन्जू) से रैनडम सैम्पलिंग द्वारा ली जायेगी।

2. **वर्णनात्मक विश्लेषण :–** इस शोध में तथ्यों व आंकड़ों का संकलन एवं उनका विश्लेषण करने के पश्चात् वर्णन किया जाएगा।

3. **सीमित स्तरीय अध्ययन :–** प्राथमिक सामग्री एवं तथ्यों को क्षेत्र में जाकर एकत्रित करने में होने वाले आर्थिक व्यय एवं सीमित समय के कारण अध्ययन क्षेत्र के विस्तार को सीमित रखना ही उचित है। अतः यह सीमित स्तरीय अध्ययन है।

4. **तथ्यों का संकलन :–** इस शोध में प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली व अवलोकन विधियों का प्रयोग किया जायेगा।

   द्वितीयक तथ्यों के लिए पूर्व शोध अध्ययनों, शोध आलेखों विनिबन्धों, गजट, पुस्तकों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं तथा इंटरनेट का प्रयोग किया जायेगा।

अध्याय प्रारूप

प्रथम अध्याय :–

मानवाधिकार व महिला मानवाधिकार : एक अवधारणात्मक विवेचना –

प्रथम अध्याय में हम ने मानवाधिकार व महिला मानवाधिकार की अवधारणा का विवेचन किया है। जिसमें हमने प्राचीनकाल से वर्तमान काल तक महिलाओं की स्थिति और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया है।

द्वितीय अध्याय :–

महिलाएँ एवं घरेलू हिंसा : एक सामाजिक दृष्टिकोण –

द्वितीय अध्याय में हम ने समाज में महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा का सामाजिक दृष्टि से विश्लेषण किया है।

तृतीय अध्याय :– मेरठ जिले की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की उत्तरदात्री महिलाएँ : एक परिचय

तृतीय अध्याय में हम अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त किये गये तथ्यों एवं आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है।

चतुर्थ अध्याय :– मेरठ जिले की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की उत्तरदात्री महिलाएँ : मानवाधिकार एवं महिला मानवाधिकार सम्बन्धी दृष्टिकोण

चतुर्थ अध्याय में हमने महिलाओं के मानवाधिकार एवं महिला मानवाधिकार सम्बन्धी दृष्टिकोण का विश्लेषण किया है।

पंचम अध्याय :– मेरठ जिले की ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की उत्तरदात्री महिलाएँ : घरेलू हिंसा कानून व घरेलू हिंसा सम्बन्धी समस्या सम्बन्धी दृष्टिकोण व सुझाव

पंचम् अध्याय में हमने महिलाओं के घरेलू हिंसा कानून व घरेलू हिंसा सम्बन्धी समस्या का अनुभवात्मक विश्लेषण किया हैं।

षष्ठम् अध्याय :– निष्कर्ष एवं सुझाव :– समग्र मूल्यांकन, प्राकल्पना परीक्षण समस्याएँ एवं सुझाव

षष्टम् अध्याय में पूर्व अध्यायों के प्राप्त निष्कर्षों को संग्रहित व संकलित कर घरेलू हिंसा के कारणों व उसे रोकने के लिए सुझाव प्रस्तुत किये है।

अध्ययन के उद्देश्य

हमारे शोध का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की वास्तविक स्थिति का तुलनात्मक रूप से अध्ययन प्रस्तुत करना, चुनौतियों को स्पष्ट करना व समस्या समाधान के मार्ग तलाशना है।

शोध का महत्व व उपयोगिता

किसी भी विषय पर किया जाने वाले शोध कार्य की अपनी उपयोगिता होती है, जिसके कारण उसका महत्व बना रहता है अतः इस विषय की उपयोगिता को निम्न बिन्दु के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है–

1. **राजनीति विज्ञान के लिए उपयोगी** – इस शोध प्रबन्ध में घरेलू हिंसा का अध्ययन मानवाधिकारों के संदर्भ में किया गया है जो राजनीति विज्ञान का एक मुख्य विषय है अतः प्रस्तुत अध्ययन राजनीति विज्ञान के लिए विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा।
2. **समाज शास्त्र के लिए उपयोगी –** प्रस्तुत अध्ययन महिला केन्द्रित है, जो समाज का अभिन्न अंग है अतः प्रस्तुत अध्ययन समाज शास्त्र के लिए उपयोगी होगा।
3. **महिला अध्ययन के लिए उपयोगी –** वर्तमान समय में महिला अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और नारी सशक्तिकरण का एक दौर प्रारम्भ हो चुका है ऐसे में महिला प्रश्न पर केन्द्रित यह अध्ययन महिला अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
4. **नीति निर्माण के लिए उपयोगी –** किसी भी देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की होती है, अतः महिलाओं से सम्बन्धित नीति–नियमों व अधिनियमों की रचना के लिए यह वस्तुनिष्ट अध्ययन सहायक सिद्ध होगा।

सीमाएँ

प्रस्तुत अध्याय पी.एचडी. की उपाधि हेतु किया जा रहा है। अतः समय व संसाधनों की सीमा के अन्तर्गत अध्ययन में मेरठ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की मात्र 200 महिलाओं को अध्ययन में सम्मिलित किया जायेगा।